

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-30/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० विजय नन्दनी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गरखा, सारण द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.08.2022 से 04.12.2022 तक कुल-126 (एक सौ छब्बीस) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

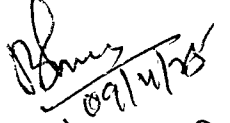
(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-30/2025- 589(2) पटना, दिनांक 15/4/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गरखा/कोषागार पदाधिकारी, सारण/डा० विजय नन्दनी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गरखा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव